

सार्वजनिक

अधिक, प्राधिकृति विज्ञा परिषद्,

उत्तर प्रदेश लघुनक्षा।

संख्या :- शासिप/परिषद सुनीलगढ़ा/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

१०८

अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फारमसी काउन्सिल औफ इण्डिया, नई दिल्ली दूवारा वैसिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा संतरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लेखनठ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 18/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति दृवारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्कारों को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रबोधश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर मिचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सङ् 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सिस्टम प्रदान की जाती है:-

संसदीय कानून एवं नियम : 3385-NARAINA VIDYA PEETH GROUP OF INSTITUTIONS GANGAGANJ, PANKI, KANPUR 208026

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०१०५०/ शी०सी०आई०प दृश्यास सत्र २०२१-२२	परिषद दृश्यास सत्र २०२१-२२ हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय बंडो0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्रांका से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर भासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तंत्रज्ञान कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फिस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
 - ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
 - ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्रवाही की जायेगी।
 - ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
 - ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन कार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत भविनातम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को उपने बेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठियाँ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-पशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ऐंगिंग रोक्झ के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो जाए कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समरप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के रथलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के भाजकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समरप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाधार्य/निदेशक, NARAINA VIDYA PEETH GROUP OF INSTITUTIONS GANGAGANJ,PANKI,KANPUR208020



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/वरिष्ठ सम्बद्धता/2022/7817

संख्यांक:
दिनांक:
30/08/2022

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अधिकारीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल और हिंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा खात्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उठप्र० संख्यांक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद वार्षालय में राम्भद्वारा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करो हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उठ प्र० संख्यांक द्वारा सत्र 2022-23 हेतु नियांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं संस्थां अंकित प्रवेश क्षणता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-


संस्था का कोड एवं नाम : 3385-NARAINA VIDYA PEETH GROUP OF INSTITUTIONS

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्गत की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेंगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उठप्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उठप्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उठप्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये ज्ञाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में गा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना ज्ञाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का निवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ऐमिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

- ✓ संस्था यह सूनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औद्यक स्पलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एकादश अर्थ
खान)


सचिव

पृष्ठ०- प्राप्तिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक:
30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, NARAINA VIDYA PEETH GROUP OF INSTITUTIONS



(एकादश अर्थ
खान)

सचिव

कार्यालय,**संवित, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश संघरण।**

संख्या: ग्राहिप/परिषद संघरण/2023/12090001

लाखनऊ: दिनांक: 12-08-2023

कार्यालय जाप:

अधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं कार्यालय काउनिल औफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संवालित डिलोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश को संबद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के साथसह में क्रमांक: दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद् कार्यालय में संबद्धता समिति की बैठक रोपन हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् कार्यालय को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं संबद्धता समिति द्वारा लिए गए नियम के अनुक्रम में संस्थाओं को साथसहता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

संबद्धता समिति की बैठक में लिये गये नियम के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश संघरण सत्र 2023-24 हेतु नियमित शार्टों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तरांग अकित प्रवेश क्षमता हेतु संबद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कांस एवं नाम : 33B6-NARAINA VIDYA PEETH GROUP OF INSTITUTIONS		प्रत्यक्षित दिनांक 02-08-2023 द्वारा सत्र 2023-24 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	नियमित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60

संबद्धता हेतु खाते

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुमान-3 उत्तर प्रदेश शासन के वर संस्था 311/18-3059/6/2022 टीएसी-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संभवित समझ रोतामो की सौच के विरुद्ध मानवीय चालात्मक में योग्यिता एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् संख्या 5027/2023 में मानवीय चालात्मक के अधीन नियमित की जाती है।
- ✓ शिक्षा आक्षय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्युक्तमी नामिता औफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा नियमित की गयी सभी रातों का योग्यता प्रदान गयी है।
- ✓ अधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्युक्तमी नामिता औफ इंडिया, नई दिल्ली के गणक के अनुल्यं प्राविधिक संस्था भारतीय चालात्मक (भूगोल, भवन, लैंब उपकरण) अधिक उत्तमा है।
- ✓ दीर्घ उत्तर प्रदेश प्राविधिक विद्या परिषद् एवं 1962 ताता प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमबद्दी-1962, विनियमबद्दी-2009, सेमेस्टर विनियमबद्दी-2016 तथा भारतीय प्राविधिक प्रविधिक शिक्षा संस्थानों को अनुप्राप्त रातों की योग्यता संभवता द्वारा नियमित की जाती है। और तदुपराप्त कार्यवाही की विषय जानने आवश्यक होता है। यहां नियमित नियमित द्वारा प्रदान सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्विधापन नियमित नहीं है, जो फीस की नवीनताप्रदान द्वारा नहीं होती।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा आवृत्ति छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था की रामधनु प्राविधिक पर नियमित वासानदेशी के अनुसार नियमित प्रवेश द्वारा संबद्धता भूलक चाला करना होगा।
- ✓ रामधनु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियमित विद्यितमी वासानदेशी एवं विदेशीक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश परीक्षा परिषद्, उत्तरांग तथा प्राविधिक विद्या उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध गढ़ि कोई बाद द्वारा नियमित की जाती है।
- ✓ पवित्र संस्था का अस्तित्व भालात्मक तकनीकी शिक्षा परिषद्युक्तमी भारतीय औफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुग्रहेन नियमित किया जाता है तो हर शेष में लगातार उत्तर प्रदेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा विवेद्यात्मक एवं प्राविधिक शिक्षा विविध उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध गढ़ि कोई बाद द्वारा नियमित की जाती है तो संस्था का प्रतिवृत्ति संलग्नित संस्था भी अस्तीन होती।
- ✓ संस्थानों पर संयुक्त प्राविधिक परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लाखनऊ की समस्त प्रवेशक गढ़ि के लिए अधिकारिक प्रवेश परीक्षा द्वारा नियमित की जाती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की विवेद्यात्मक अनुप्राप्त विषयों वाले अनुप्राप्त करना बाधकराही होता है।
- ✓ संस्था की अपेक्षा वेदसवाद तथा प्राविधिक शिक्षा के वृत्त्युक्त संस्थान पर संस्था की समस्त सूक्ष्मांश जैसे संस्था की एनियरिंग परीक्षा भूमि, रसायन, रासायनिक, उपकरण, शास्त्र जैसे जाने वाला शूलक, उत्तरांग संस्कृत अधिक विवरण उत्तमा करना होता है।
- ✓ संस्था की प्राविधिक प्राविधिक हेतु उपस्थित वालापरक उत्तरांग विवरण के सभी विविध विवेद्यात्मक रूपों के साथसह में समस्त व्यावरक उत्तरांग भूमिक्त करनी होती।
- ✓ संस्था यह सुनीचित हो दे कि संस्था में प्रदानितात्मकान्ति प्राविधिक विवेद्यात्मक विवरण को चलाये जाने हेतु नियमित समिति के शम्भव उपलब्ध कराये गये अंतिमेत्ता, भूमि-भवन, कार्बनांग, उपकरण इत्यादि का विदि रासायनिक विवेद्यात्मक अन्य विवेद्यात्मक के संबंध में विवेद्यात्मक विवरण किया जाता है और प्राविधिक को इत्यादि कार्यवाही होती है। कि संस्था उत्तरांग का प्रयोग किया जान्य कार्य के लिए कर रही है तो विवरण संस्था की संस्कृता संस्कृता की कार्यवाही जी जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक विद्या (विनियमान्तरी और उत्तरांगविवेद्यात्मक, संस्थानों का संबद्धता किया जाना), विनियमान्तरी, 2020 के प्राविधिक अनुप्राप्त परीक्षा नीं मांग पर 35% के कार्यवाहियों, भवनों और कार्बनांग को परिषद् को परीक्षा के संधारन के लिए विवेद्यात्मक के अधिकार में रखेंगे।
- ✓ संस्था के औकात स्वत्त्वात् विविध विवेद्यात्मक द्वारा नियमित संस्था में भूमि, रसायन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सल्ल-सज्जा युवराजीयों द्वारा विवेद्यात्मक परिषद् के भवनावालुप्राप्त उत्तरांग नहीं पाया जाता है तो संस्था की संबद्धता समाप्त कर दौ जाएगी।
- ✓ संबद्धता वाही का अनुप्राप्त न किये जाने अवधा शर्तों का उत्तरांग किये जाने की विविध में विवरणमुक्त अनुप्राप्त कार्यवाही की जाएगी।

(अधिकारी कुमार मिश्र)

संस्था

पृष्ठा-००१- प्राविधिक परिषद संबद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-08-2023

प्रतिलिपि:-

प्राविधिक विवेद्यात्मक, NARAINA VIDYA PEETH GROUP OF INSTITUTIONS

(अधिकारी कुमार मिश्र)

संस्था